इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 19 | अंक संख्या 01 | अगस्त, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 12

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ	3
बैंकिंग नीतियाँ	4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ	4
पूंजी बाजार	5
बीमा	6
विनियामक के कथन	7
आर्थिक संवेष्टन	7
नई नियुक्तियाँ	8
विदेशी मुद्रा	8
शब्दावली	9
वित्तीय ज्ञान	9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां	9
संस्थान समाचार	10
बाजार की खबरें	11

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को निदेश: जमाराशियों पर ब्याज दरें वेबसाइट पर प्रतिदिन दर्शाएँ

1 अक्तूबर 2026 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए उनकी वेबसाइट पर प्रत्येक कारोबार दिवस को, थोक एवं अन्य जमाराशियों पर उनके द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। बैंकों को यह भी अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि एक ही तिथि को स्वीकृत, एक बराबर राशि पर उनकी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों को देय ब्याज दरों में एकरूपता हो। थोक जमाराशियों पर बैंक, जमाराशियों पर लागू विभेदक रन-ऑफ दर अथवा अप्रतिभूत थोक फंडिंग को ध्यान में रख, चलनिधि कवरेज अनुपात ढांचे के तहत विभेदक ब्याज दर का भुगतान कर सकेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2026 हेतु वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी

देश में वित्तीय समावेशन के प्रसार को दर्ज करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक निर्मित किया है। मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान 70.0 रहा। इस सुधार का मुख्य श्रेय उपयोग में बढ़ोत्तरी को दिया जा रहा है जो वित्तीय समावेशन की गहरी होती पहुँच को दर्शाता है।

आईएफएससी में सीआरए हेतु मास्टर परिपत्र में आईएफएससीए द्वारा संशोधन

रेटिंग का दायरा बढ़ाने और अभिलेख सुरक्षित रखने के नियमों को सख्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने संशोधन जारी किए हैं। ऋण रेटिंग की परिभाषा को संशोधित कर इसमें ऋण गुणवत्ता रेटिंग तथा मिलती-जुलती सेवाओं को शामिल किया गया है। ऋण रेटिंग प्रक्रिया को पुनर्निर्मित करने हेतु ऋण रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) को सही व विस्तृत अभिलेख रखना होगा। दी गई प्रारंभिक रेटिंग तथा रेटिंग पर बाद की कार्यवाहियाँ सीआरए द्वारा उनकी वेबसाइट पर रेटिंग के औचित्य सहित प्रदर्शित की जाएंगी।

एनपीएस ने अभिदाताओं को दो नए डिजिटल टूल उपलब्ध कराए हैं

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करने तथा सेवा से जुड़ी उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु उन्हें दो नए डिजिटल टूल उपलब्ध कराए हैं। इनमें से एक प्राइड-दिशा है, जिसमें अभिदाता मानक पॉइंट टू पॉइंट प्रतिफल की बजाय वास्तविक योगदान के आधार पर भिन्न पेंशन निधि प्रबन्धकों (पीएफएम) के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरे का नाम पेंशन सहायक है जो एनपीएस, एकीकृत पेंशन योजना तथा अटल पेंशन योजना के अभिदाताओं हेतु एआई चालित शिकायत प्रबंधन मंच है।

पीएफआरडीए ने अन्य पक्ष निकायों हेतु पेंशन निधियों को जवाबदेह बना दिया है

पीएफआरडीए ने पेंशन निधियों को किसी विशेष उद्देश्य वाली योजना के संचालन हेतु अन्य पक्ष निकायों को नियोजित करने की अनुमति दे दी है। तथापि, पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि पेंशन निधि किसी चूक की ज़िम्मेदारी आउटसोर्स्ड निकाय पर नहीं थोप सकती। निधि ऐसी योजना के अभिदाता हेतु स्वयं जिम्मेदार होगी तथा इसके द्वारा नियोजित निकाय के भूल-चूक के कृत्य हेतु जवाबदेह होगी। अन्य बातों के साथ, इन निकायों के पास जानकारी साझा करने, लाभों का भुगतान करने अथवा अभिदाताओं को अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए पेंशन निधि या किसी अन्य पंजीकृत मध्यस्थ के साथ समन्वित होने के लिए तकनीकी सामर्थ्य का होना जरूरी है।

पेंशन क्षेत्र में जवाबदेह नवोन्मेष हेतु पीएफआरडीए द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स की शुरुआत

पीएफआरडीए अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना तथा पेंशन योजनाओं का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित कर पेंशन क्षेत्र में जवाबदेह नवोन्मेष के लिए विनियामक सैंडबॉक्स ढांचा लेकर आया है। इसके माध्यम से, पात्र संस्थाएं नियंत्रित परिवेश में नवोन्मेषी उत्पादों, सेवाओं, व्यवसाय मॉडलों अथवा तकनीकी समाधानों का परीक्षण कर सकेंगी।

अतिरिक्त एनपीएस निवेश विकल्प अब सीएबी के कर्मचारियों को भी उपलब्ध होंगे

एनपीएस में शामिल केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं (सीएबी) के कर्मचारियों को अब दो अतिरिक्त निवेश विकल्प उपलब्ध होंगे। इनके नाम हैं- एग्रेसिव लाइफ साइकल फंड (एलसी 75) और बैलेंस्ड लाइफ साइकल फंड। एग्रेसिव लाइफ साइकल फंड (एलसी 75) जिसे अब एलसी-75-हाई का नाम दिया गया है, 75% तक के इक्विटी एक्सपोजर सहित, दीर्घ काल में ज्यादा वृद्धि संभावना चाहने वाले अभिदाताओं हेतु निर्मित निवेश विकल्प है। बैलेंस्ड लाइफ साइकल फंड जो अब अग्रेसिव लाइफ साइकल फंड कहा जाता है, में इक्विटी एक्सपोजर की अधिकतम सीमा 50% है और इसमें 45 वर्ष की आयु से इक्विटी एक्सपोजर क्रमशः कम किया जाने लगता है। इसमें वृद्धि तथा स्थायित्व के बीच संतुलन की राह अपनाई गई है।

बैंकिंग नीतियाँ

बैंक बोर्डों पर पर्याप्त ध्यान देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सिद्धांत आधारित ढांचे की शुरुआत

बैंक बोर्डों के समक्ष रखे जाने वाले मुद्दों के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 1 अक्तूबर 2026 से सात थीम वाले ढांचे को सिद्धांत आधारित ढांचे से प्रतिस्थापित कर दिया है। बोर्ड जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, सम्बद्ध संस्थाओं को एक्सपोजर तथा कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। व्यवसाय रणनीति तथा वित्तीय स्थिरता; प्रमुख वित्तीय फैसलों; संगठन के आंतरिक अभिशासन ढांचे व प्रथाओं; तथा जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन दायित्वों की उच्चतम ज़िम्मेदारी बोर्ड की हुआ करेगी। बोर्ड सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अपनी भूमिका कारगर ढंग से निभाने के लिए प्रबंधन से पर्याप्त जानकारी मिलती रहें।

शेयर सम्बद्ध लिखतें परिवर्ती वेतन का हिस्सा होंगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र बैंकों (पीवीबी) के अभिशासन ढांचे को संशोधित कर इसे संशोधित बासल स्तम्भ 3 प्रकटन मानकों के अनुरूप पारिश्रमिक-सम्बद्ध प्रकटन अपेक्षाओं से जोड़ दिया है। इस संशोधन के अनुसार, परिवर्ती वेतन के रूप में प्रदत्त शेयर सम्बद्ध लिखतों का ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग कर उचित मूल्य निर्धारण किया जाना होगा। जिस लेखा अवधि के लिए यह अनुमति दी गई है, उससे शुरू कर इस मूल्य को एक व्यय माना जाएगा। पीवीबी वरिष्ठ प्रबंधन तथा मटेरियल रिस्क टेकर के वार्षिक पारिश्रमिक को अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणियों में दर्शाएँगे। ये संशोधन 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

बासल स्तम्भ 3 प्रकटन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित ढांचा जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों हेतु अपने बासल स्तम्भ 3 प्रकटन ढांचे को संशोधित कर संशोधन निदेश जारी किए हैं। बैंकों को अपने निदेशक मण्डल से अनुमोदित करा कर स्तम्भ 3 डेटा हेतु औपचारिक प्रकटन नीति रखनी होगी। प्रकटन स्पष्ट, विस्तृत, सुसंगत, बैंकों के मध्य तुलनीय तथा उपयोगकर्ताओं हेतु सार्थक हो। निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबंधन वित्तीय जानकारी तथा स्तम्भ 3 प्रकटन पर कारगर आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने हेतु जिम्मेदार होंगे। ये संशोधन 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंक स्वतंत्र इकाई को अलग परियोजना के रूप में वित्तपोषित कर सकते हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-ऋण सुविधाएं) पंचम संशोधन निदेश, 2026 के अनुसार, बैंक अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं कि क्या एक परियोजना बहुल स्वतंत्र व्यवहार्य इकाइयों की भांति परिचालित की जा सकती है तथा अपने वित्तीय निर्णय से इन स्वतंत्र इकाईयों को अलग परियोजना की तरह वित्तपोषित कर सकते हैं। यह संभावना इसके अधीन है कि स्वतंत्र रूप से व्यावहार्यता हेतु क्या प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन पहले से किया गया है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु, जहां उत्पादन तथा पारेषण (निष्क्रमण अवसंरचना) दोनों परियोजना के दायरे में हैं, पारेषण हेतु राइट ऑफ वे अपेक्षा का निर्धारण लागू मानकों के अनुसार किया जा सकता है।

सीमापार संव्यवहार हेतु एडी बैंक द्वारा एसआरवीए खाता खोला जा सकता है

भारत स्थित अधिकृत डीलर एडी बैंकों को उनकी भारत से बाहर स्थित शाखा या भारत से बाहर रेजीडेंट बैंक का विशेष रुपया वोस्त्रो खाता खोलने की अनुमति दे दी गई है। सीमापार संव्यवहारों का एसआरवीए के जरिए समाधान का उपयोग भारतीय रुपए में बीजक बनाने, भुगतान करने तथा निर्यात/आयात के सेटलमेंट के लिए किया जा सकता है। वास्तव में, ऐसे एडी बैंक केवल निर्यात/आयात संव्यवहारों के समाधान हेतु निर्यातक/आयातक हेतु अतिरिक्त चालू खाता भी खोल सकते हैं। एसआरवीए का उपयोग फेमा अंतर्गत अनुमत समस्त पूंजी और चालू खाता संव्यवहारों के समाधान के लिए भी किया जा सकता है।

एसएनएफए तथा अप्राप्त प्रभारों हेतु मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

विशिष्ट गैर-वित्तीय आस्तियों (एसएनएफए) के अधिग्रहण के मामले में, एसएनएफए के अधिग्रहण की अवधि पूर्व का उपचित परंतु अप्राप्त ब्याज और/या समाप्त एक्सपोजर से प्रभार को 1 अक्तूबर 2026 के प्रभाव से, एसएनएफए के अधिग्रहण के बाद आय नहीं माना जाएगा। जहां ऐसी आय एक बैंक की बहियों में यथा 30 सितंबर 2026 बकाया मानी गई है वहाँ इस आय को उस तिथि को बकाया रहने की सीमा तक लाभ व हानि खाते के जरिए अधिकतम 30 सितंबर 2027 तक रिवर्स कर दिया जाएगा। एसएनएफए से प्राप्त किसी आय को, इसकी प्राप्ति के वित्तीय वर्ष में आय विवरण में गैर-ब्याज/अन्य आय माना जाएगा। इसी प्रकार, एसएनएफए के रख-रखाव हेतु किए गए किसी व्यय को व्यय करने के वित्तीय वर्ष में आय विवरण में लेखांकित किया जाएगा।

पूंजी बाजार

सेबी ने प्रतिभूति अंतरण को तेज तथा निवेशक-हितैषी बना दिया है

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कम मूल्य के दावों हेतु नई तीव्र व्यवस्था शुरू कर तथा दस्तावेज़ आवश्यकताओं का मानकीकरण कर, प्रतिभूति अंतरण प्रक्रिया को तेज तथा निवेशक-हितैषी बनाने की दिशा में कदम उठाया है। नए ढांचे में कम मूल्य के दावों हेतु त्वरित अंतरण प्रक्रिया (क्यूटीपी) शुरू की गई है तथा सरल प्रलेखीकरण हेतु मौद्रिक सीमा को संशोधित किया गया है। सरलीकृत प्रलेखन के जरिए मौद्रिक न्यूनतम सीमा संशोधित कर भौतिक प्रतिभूतियों के लिए 10 लाख रुपए तथा डिमेट होल्डिंग के लिए 30 लाख कर दी गई है। आगे, उत्तराधिकार क़ानूनों में हाल के संशोधनों के अनुरूप, वसीयत के प्रमाणन की अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर सेबी ने प्रलेखीकरण तथा अंतरण प्रक्रिया का मानकीकरण कर दिया है। सूचीबद्ध कंपनियाँ, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आरटीए), डिपॉजिटरी भागीदार तथा आस्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए अंतरण अनुरोधों हेतु मानकीकृत फार्म का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। दावे प्रस्तुत तथा ट्रैक करने हेतु वे ऑनलाइन सुविधा भी दे सकते हैं।

एसआईएफ वितरकों के लिए अलग एमएफ वितरक योग्यता की आवश्यकता नहीं: सेबी

विशेषीकृत निवेश निधियों (एसआईएफ) के वितरकों हेतु प्रमाणन आवश्यकताओं में सेबी ने ढील दे दी है। एसआईएफ उत्पादों की बिक्री और/या वितरण में कार्यरत या नियोजित अथवा कार्यरत या नियोजित किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एसआईएफ हेतु वैध सर्टिफिकेशन आवश्यक होगा। इस सर्टिफिकेशन वाले निकाय अलग से म्यूचुअल फंड वितरक प्रमाणन रखे बगैर म्यूचुअल फंड (एमएफ) तथा एसआईएफ दोनों उत्पादों के वितरक हो सकेंगे।

डिमेट में म्यूचुअल फंड धारक निवेशक एसडबल्यूपी, एसटीपी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं: सेबी

सिस्टमेटिक निकास योजना (एसडबल्यूपी) तथा सिस्टमेटिक अंतरण योजना (एसटीपी) अब निवेशकों को डिमेट-धारित एमएफ यूनिट में उपलब्ध होगी। अब तक ये, केवल खाता विवरण (एसओएफ) में रखी यूनिटों हेतु उपलब्ध थीं। यह सुविधा दो चरणों में लागू होगी। प्रथम चरण 31 जनवरी 2027 तक शुरू होगा जिसमें निवेशक यूनिट आधारित एसडबल्यूपी तथा एसटीपी अधिदेश जहां निश्चित संख्या में यूनिटें निर्दिष्ट आवर्तिता पर रिडीम या अंतरित की जाएँ, पंजीकृत करा सकते हैं। द्वितीय चरण 30 अप्रैल 2027 तक लागू किया जाना है जिसमें यह सुविधा राशि आधारित एसडबल्यूपी तथा एसटीपी को उपलब्ध करा दी जाएगी।

चलनिधि असंतुलन के प्रबंधन हेतु एमएफ इंट्राडे उधार का उपयोग कर सकते हैं: सेबी

सेबी ने म्यूचुअल फंड द्वारा इंट्राडे उधार का दारा बढ़ा कर उन्हें इस सुविधा का उपयोग बेमेल सेटलमेंट समय के कारण उत्पन्न नकदी प्रबंधन की भिन्न आवश्यकताओं हेतु करने की अनुमति दे दी है। 1 सितंबर 2026 से लागू इस ढांचे में, म्यूचुअल फंड यूनिटधारक को समस्त भुगतान करने सहित, योजना में किए गए निवेशों, मार्क-टू-मार्केट दायित्वों, विदेशी विनिमय सेटलमेंट तथा मौजूदा कर्ज को चुकाने के संबंध में भुगतान हेतु इंट्राडे उधार ले सकेंगे।

निवेशक सुरक्षा निधि आय में सेबी द्वारा रियायत से डिपॉजिटरी लाभान्वित होंगी

सेबी ने अपनी निवेशक सुरक्षा निधि से अर्जित आय के उपयोग के तरीके में 1 सितंबर 2026 से रियायत दी है। सेबी ने तय किया है कि निवेशक सुरक्षा निधि से अर्जित वार्षिक ब्याज/आय का न्यूनतम 95% निधि में वापस जोड़ा जाना चाहिए। शेष राशि जो अधिकतम 5% निर्धारित है, निधि परिचालन से जुड़े प्रशासनिक और सांविधिक व्ययों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।

एआईएफ योजना शुरू करने में तेजी के लिए सेबी द्वारा गरुड (GARUDA) का शुभारंभ

वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) योजनाओं की शुरुआत में तेजी लाने हेतु सेबी ने गरुड़ नामक एक ग्रीन चैनल व्यवस्था का शुभारंभ किया है। गरुड़ अर्थात ग्रीन-चैनल: एआईएफ रोल आउट अपान डाक्यूमेंट एकनालेजमेंट, फ्रेमवर्क से निधियाँ, सेबी में अपना प्लेसमेंट ज्ञापन जमा करने के 10 दिन बाद नई योजनाएँ शुरू कर सकेंगी।

ग्राहकों की अदत्त प्रतिभूतियों के संबंध में सेबी ने ब्रोकरों को सशक्त किया है

बाजार प्रथाओं को प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली से जोड़ने और ब्रोकरों की परिचालनात्मक कठिनाइयों को कम करने हेतु, सेबी ने ब्रोकरों द्वारा क्लाइंट प्रतिभूतियों का पूरा भुगतान न करने के मामले में अपनाए जाने वाले तरीकों को संशोधित कर दिया है। अन्य बातों के साथ ब्रोकर ग्राहकों को उनकी लंबित भुगतान देयता की जानकारी एसएमएस/ईमेल से भेजेंगे तथा यदि भुगतान अधिकतम पाँच कार्य दिवसों के भीतर नहीं किया जाता तो प्रतिभूतियों को बेचने के ब्रोकर के अधिकार की जानकारी देंगे।

बीमा

आईआरडीएआई ने प्रत्येक बीमा पॉलिसी को जनवरी 2027 से विक्रेता से टैग करना अनिवार्य बना दिया है

आईआरडीएआई ने बीमा मध्यस्थों पर लागू विनियामक ढांचे में कई परिवर्तन कर निवेशक संबंधी विनियमों को तदनुरूप संशोधित किया है। आईआरडीएआई ने अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक पॉलिसी बिक्री हेतु उत्तरदायी व्यक्ति से जोड़ी जाए ताकि दुर्विक्रय पर रोक लगे तथा पॉलिसी बेचने वाले व्यक्ति या निकाय की ग्राहक द्वारा पहचान सुनिश्चित की जा सके। संशोधित विनियमों के तहत, प्रत्येक प्रस्ताव फार्म, पॉलिसी दस्तावेज़ तथा बीमा प्रमाणपत्र में मध्यस्थ अथवा पॉलिसी क्रय हेतु आग्रह करने वाले अधिकृत बिक्रीकर्ता का नाम, पॉलिसी बेचने वाली शाखा या कार्यालय के मोबाइल नंबर तथा ईमेल पते के साथ अवश्य दिया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट एजेंट, बीमा ब्रोकर, बीमा विपणन फार्म, वेब एग्रीगेटर तथा आम जन सेवा केंद्र विशेष उद्देश्य वेहिकल (सीपीएससी-एसपीवी) पर लागू ये नवीन टैगिंग अपेक्षाएँ 1 जनवरी 2027 से लागू होंगी।

विनियामक ने मध्यस्थों हेतु पंजीकरण ढांचे को भी काफी बदल दिया है। संशोधित मानकों के तहत, एक बार जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिश्चित काल तक मान्य रहेगा बशर्ते कि वापस न किए जाने वाले वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जाता रहे। पंजीकरण बना रहेगा जब तक कि इसे आईआरडीएआई द्वारा रद्द न कर दिया जाए या मध्यस्थ इसे स्वेच्छा से लौटा न दे।

बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्तीय और निवेश कार्यों हेतु विनियमों में आईआरडीएआई द्वारा संशोधन

आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्तीय और निवेश कार्यों पर लागू विनियमों को संशोधित कर बीमाकर्ताओं को शेयरों द्वारा सीमित यथा तथा अवसंरचना क्षेत्र में नियोजित कंपनी निगमित विशेष उद्देश्य वेहिकल (एसपीए) द्वारा जारी कर्ज के 20% तक निवेश की अनुमति दे दी है। संशोधित ढांचे में, असूचीबद्ध निजी लिमिटेड कंपनियों, वैकल्पिक निवेश निधियों तथा वेंचर पूंजी निधियों (वीसीएफ) के संयोजन में, जीवन बीमाकर्ताओं को निवेश आस्तियों के 3% तथा सामान्य बीमाकर्ताओं को 5% तक निवेश करने की अनुमति दी गई है।

आईआरडीएआई द्वारा पीईपीएफ का संचालन शुरू

सबका बीमा सबकी सुरक्षा (एसबीएसआर) अधिनियम अंतर्गत लाए गए और स्थापित पॉलिसी धारक शिक्षा और सुरक्षा निधि (पीईपीएफ) का संचालन आईआरडीएआई द्वारा शुरू कर दिया गया है। पीईपीएफ बीमा जागरूकता व साक्षारता को बढ़ावा देने, शिकायत समाधान प्रणाली को मजबूत करने, पॉलिसीधारक हेतु सेवाओं को सुधारने में प्रौद्योगिकी को अपनाने, अदावी बीमा खातों का पता लगाने और इसकी वसूली करने तथा पॉलिसीधारकों को सशक्त और सुरक्षायुक्त रखने हेतु, अन्य पहलों में सहायता देने हेतु एक समर्पित सांस्थानिक व्यवस्था है।

विनियामक के कथन

आंतरिक लोकपाल उत्तम अभिशासन की बुनियाद हैं: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

आंतरिक लोकपाल वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे विनियमित संस्थाओं के बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन तथा मुख्य नोडल अधिकारियों से आंतरिक लोकपाल को सशक्त करने, उनकी स्वतन्त्रता का सम्मान करने और फीडबैक का उपयोग सांस्थानिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने हेतु करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आंतरिक लोकपाल व्यवस्था की दक्षता लोकपाल की सामर्थ्य पर उतनी ही निर्भर है जितनी कि व्यवस्था को पूर्णरूपेण अपनाने में संस्था की प्रतिबद्धता पर। उन्होंने संस्थाओं का आहवान किया कि वे ग्राहक सेवा को 'विनियामक अपेक्षा' तक सीमित रखने की बजाय उत्तम अभिशासन के अभिन्न अंग के रूप में देखें। किसी खास उत्पाद, स्थान, डिलिवरी चैनल अथवा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती शिकायतें प्राय: आंतरिक कमजोरियों का प्रारम्भिक चेतावनी संकेत हुआ करती हैं जिन पर प्रबंधन का ध्यान जरूरी होता है। इसलिए, ऐसा डेटा मात्र आंकड़ों के रूप में नहीं बल्कि मूल्यवान व्यावसायिक आसूचना के रूप में देखा जाए।

विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने हेतु भारत बैंकों के तुलन पत्र से आगे देखे: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

यदि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो बड़े पैमाने पर तथा विविधतापूर्ण वांछित वित्तपोषण करने हेतु केवल बैंकों के तुलनपत्र मात्र पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये विचार वित्तीय संस्था नेतृत्व सम्मेलन में श्री राजेश जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यक्त किए। उनके विचार में देश को अवसंरचना, विनिर्माण, शहरी विकास, प्रौद्योगिकी तथा घरेलू कंपनियों के विस्तार हेतु काफी दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता होगी। इस हेतु हमें उन माध्यमों को फैलाना होगा जिनसे बचत निवेश में बदली जाती है। उन्होंने कॉर्पोरेट बांड, विदेशी विनिमय तथा डेरिवेटिव बाजार का दायरा व्यापक करने पर भी ज़ोर दिया।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जुलाई 2026 माह हेतु जारी मासिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई 2026 के 3.93% के मुक़ाबले बढ़ कर जून 2026 में 4.38% हो गया। थोक मूल्य सूचकांक मई के 9.68% की तुलना में बढ़ कर जून 2026 में 9.87% हो गया।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में मई 2026 में वर्षानुवर्ष 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई जो अप्रैल 2026 के 4.9% की संशोधित वर्षानुवर्ष वृद्धि से थोड़ी अधिक है।
- कुल निर्यात जून 2025 के 67.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्षानुवर्ष 9.5% की वृद्धि के साथ 73.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गए। कुल आयातों में वर्षानुवर्ष 26.8% की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण वस्तु निर्यात में वर्षानुवर्ष 31% की वृद्धि होना था।
- चालू खाते में अप्रैल-मई 2026 में 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का आधिक्य दर्ज किया गया जबकि 2025 की इस संगत अवधि में 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर का घाटा था।
- अप्रैल-मई 2026 के दौरान निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ कर 6.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो 2025 की इसी अवधि में 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

- उद्योगों तथा सेवाओं को कर्ज में कमी के चलते मार्च 2026 में एनबीएफसी के ऋणों में वृद्धि वर्षानुवर्ष घट कर 16.6% रही जबकि कृषि तथा खुदरा क्षेत्र को ऋणों में तेज वृद्धि हुई।
- सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपी) ने उच्च आवर्तिता आर्थिक संकेतकों में लंबे समय से बनी खाई को पाटने हेतु, सेवा क्षेत्र गतिविधियों की मात्रा आधारित मासिक माप उपलब्ध कराने हेतु सेवा उत्पादन ट्रायल सूचकांक 2024-25 को आधार वर्ष बना कर शुरू किया है। अप्रैल 2026 हेतु जारी प्रथम ट्रायल व्यापक आधार वाली वृद्धि दर्शाता है जिसमें 19 उप-क्षेत्रों में से 14 में अकोमोडेशन व खाद्य सेवाओं, खुदरा व्यापार तथा प्रशासनिक व सपोर्ट सेवाओं की अधिक मांग के चलते द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई है।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्रीमती मोनिशा चक्रवर्ती	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्रीमती बीजी एस एस	अतिरिक्त निदेशक (कार्यपालक निदेशक), कर्नाटक बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार

मद	यथा 31 जुलाई 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6612148	692866
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5388865	564680
1.2 स्वर्ण	999586	104743
1.3 एसडीआर	178132	18666
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	45566	4778

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रवृति (मिलियन अमरीकी डॉलर)

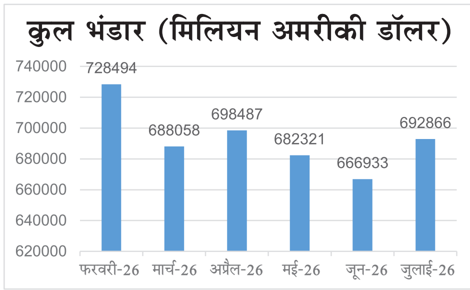

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: *भारतीय रिज़र्व बैंक*

यथा 31 जुलाई 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, अगस्त 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.65
SONIA (जीबीपी)	3.7313
STR (यूरो)	2.185
TONA (जापानी येन)	0.977
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.3100
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.35
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.037256

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.5
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.645
SORA (सिंगापुर डॉलर)	0.9472
HONIA (हांगकांग डॉलर)	2.27297
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.7800

स्रोत: *www.fbil.org.in*

शब्दावली

विशिष्ट गैर-वित्तीय आस्ति (Specified Non-financial Asset)

विशिष्ट गैर-वित्तीय आस्ति से आशय एक विनियमित संस्था द्वारा ऋणी पर इसके दावों की पूर्ण अथवा आंशिक वसूली हेतु अधिग्रहण की गई आस्ति से है जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संबन्धित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां शामिल हैं।

वित्तीय ज्ञान

मेज़ानीन वित्तपोषण (Mezzanine financing)

मेज़ानीन वित्तपोषण, मिश्रित वित्तपोषण होता है जो एक कंपनी के पूंजी ढांचे में सीनियर कर्ज और इक्विटी के बीच अंतर को पूरा करता है। इसमें कर्जदाता चूक के मामले में अथवा निर्दिष्ट स्थितियों में, कर्ज को इक्विटी में बदल सकता है। इसे सामान्यतया स्वामित्व में ज्यादा कमी किए बिना अधिग्रहण, खरीद तथा विस्तार के वित्तपोषण हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त 2026 हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
परिचालन जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	17-18 अगस्त, 2026	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, बेंगलुरु
फिन एआई 360: बैंकिंग में एआई और एमएल अप्लिकेशन पर कार्यक्रम	17-18 अगस्त, 2026	वर्चुअल
बैंकों, एनबीएफसी तथा एफआई हेतु साइन लैंगवेज़ पर कार्यक्रम	19-21 अगस्त, 2026	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, पश्चिम जोन
तनावग्रस्त आस्तियों के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2018 के जरिए समाधान पर कार्यक्रम	19-21 अगस्त, 2026	वर्चुअल
बैंकिंग पेशेवरों हेतु उन्नत ऋण व परिचालन जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	19-21 अगस्त, 2026	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, लखनऊ
ग्रो बैंक: बैंकों/एनबीएफसी/एफआई/एसएफबी हेतु खुदरा बैंकिंग तथा डिजिटल त्वरण पर कार्यक्रम	20-21 अगस्त, 2026	वर्चुअल
एआई संग स्मार्ट बैंकिंग-बैंकरों हेतु गहन समझ पर कार्यशाला	22 अगस्त, 2026	वर्चुअल
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	23-25 अगस्त, 2026	वर्चुअल
इंस्पेक्टर और ऑडिटर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	23-25 अगस्त, 2026	वर्चुअल
ऋण निगरानी तथा वसूली पर कार्यक्रम	27-28 अगस्त, 2026	वर्चुअल

RO और ZO में क्रेडिट अधिकारियों के लिए वर्किंग कैपिटल के आकलन पर कार्यशाला	27-28 अगस्त, 2026	प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, लखनऊ
ऑपरेशनल रिस्क के मैनेजमेंट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27-29 अगस्त, 2026	वर्चुअल

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा नए सेल्फ-पेस्ड ई-लर्निंग पाठ्यक्रमों की घोषणा

आईआईबीएफ ने निम्नलिखित नए सेल्फ-पेस्ड ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किए हैं:

- हरित और आघात सह्य भवन हेतु वित्तपोषण
- बैंकिंग में सॉफ्ट स्किल्स तथा कार्यस्थल शिष्टाचार
- बैंकरों हेतु कृत्रिम मेधा तथा मशीन लर्निंग
- बैंकरों हेतु (उन्नत) परियोजना प्रबंधन

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण प्रारम्भ

एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रम ‘फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग’ के जुलाई 2026-दिसंबर 2026 बैच हेतु पंजीकरण चालू है। अंतिम तिथि बढ़ा कर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। विवरण तथा आवेदन करने के लिए https://www.iibf.org.in/NCVET पर जाएँ।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक जुलाई – सितंबर 2026 का विषय ‘बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता निर्माण के जरिए ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना’ है। उप-विषय हैं - ग्राहक सेवा उत्कृष्टता लाने में कर्मचारियों की भूमिका; ग्राहक सेवा; ग्राहक जुड़ाव; डिजिटल युग में ग्राहक अधिग्रहण; ग्राहक सुरक्षा; शिकायत प्रबंधन; व्यथा समाधान; कर्मचारी जुड़ाव; प्रशिक्षण, कर्मचारियों में कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण; आचार नीति तथा अनुपालन।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी से खुद को अवगत रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से परीक्षाओं की वास्तविक तिथि तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

पर्यावरण अनुकूल कदम

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान में अपना ई-मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति प्रेषित करें।

बाजार की खबरें

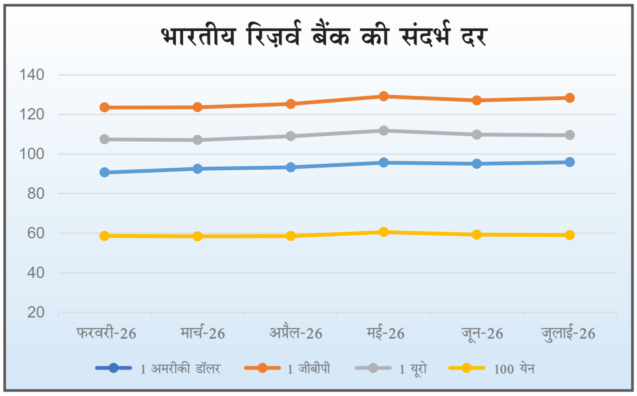

स्रोत: एफबीआईएल

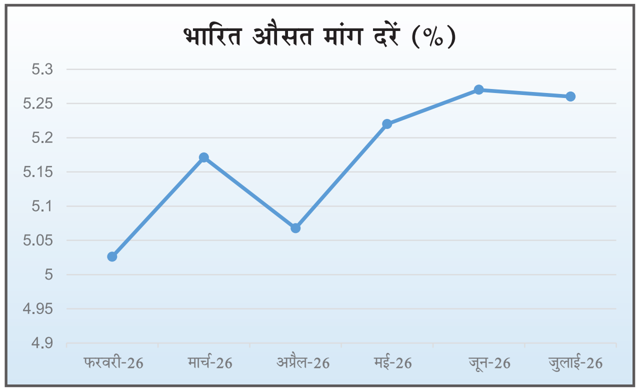

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

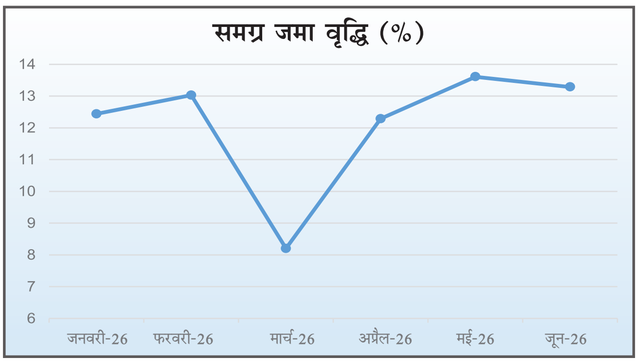

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून 2026

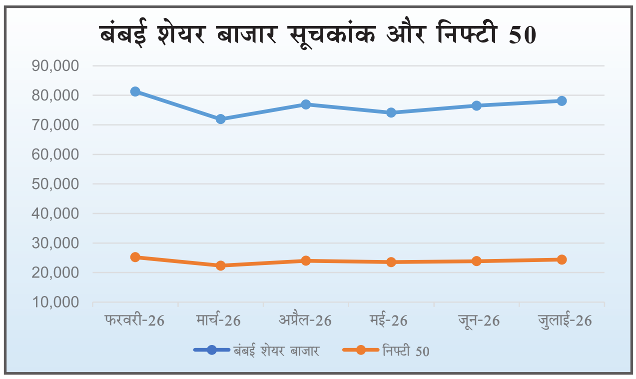

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

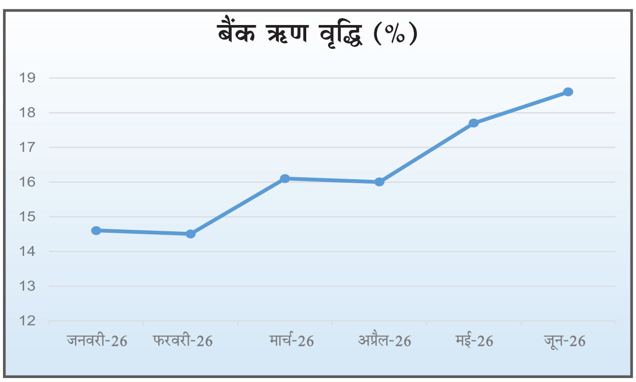

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

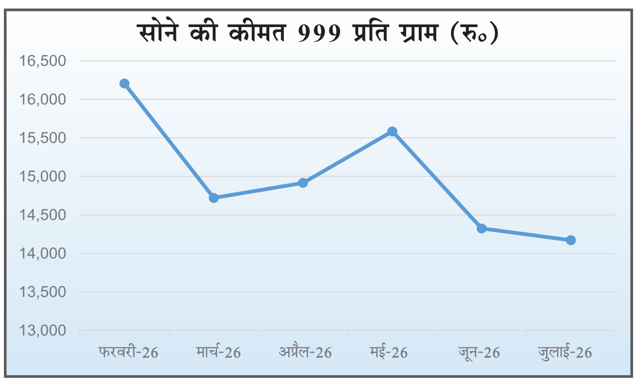

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

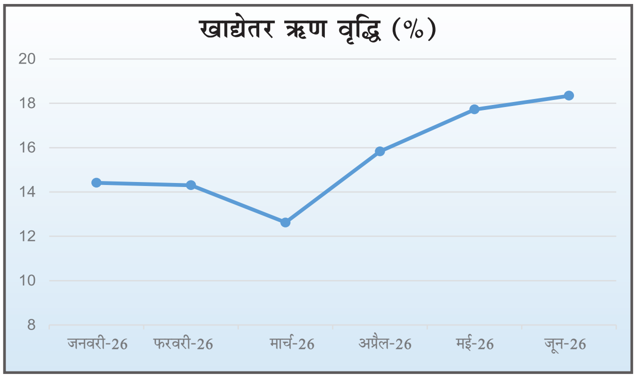

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून 2026

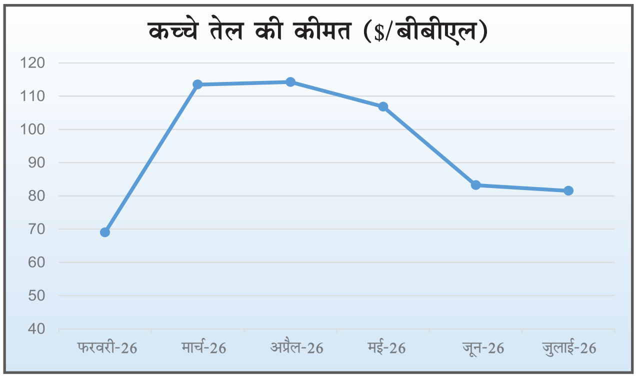

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N. M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 08069260710
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in